

फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा मुकाम सेड़वा

तैयब बनाम अरबाब वगैरा

किरम मुकदमा-राजस्व वाद

मुकदमा नम्बर-69 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्मकारवाई मय इनिशियलजज	नम्बर व तारीख अहकॉम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.05.2025	वादी के अधिवक्ता श्री दोष मोहम्मद ने यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिए सम्मन/नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 20.06.2025 को पेश हो।	
20/06/25	<p>पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी निगल पत्रों में व्यस्त है, मिसल इल्लवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 30/06/25</p>	
24/06/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील एवं वादीकम शक्य उपर/वादी वकील ने प्रार्थना पत्र वास्ते पत्रावली पेश पर लेने वाबद् पेश कर सिवेल क्रिया की पत्रावली आज पेशी तय्यब पर ली जावे। वकील वादी के प्रार्थना पत्र पत्रावली आज पेशी तारीख पर ली गई। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र वास्ते पेश करने वाबद् पेश कर सिवेल क्रिया उक्त अनवार के प्रकरण में हमारे आपस में राजीनामा होने के कारण व आपसी समझौता करके राजीनामा करवा दिया है इसलिए हम उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। उक्त शत्रुत्व वाद को इसी स्तर/स्टेज पर अरिये राजीनामा पेश करमाया जावे।</p> <p>वादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को ज्याप्रस्त में प्रवीकार किया जाकर उक्त अनवार के वाद को अरिये राजीनामा पेश किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली मिसल इल्लवा होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।</p>	<p>नकी</p> 